

जबल डाकघर आदिमिदिठ 30/8/22 न पत्रक नकलीतहिल
 वाकर कडसुं (वा P 202203400204889 एमए. 80379.
 राजख सहिल
 प्यमा-त लम्य यम्यतय अकिकि मिकारी (मिकी) दिववाए

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ
 वाद संख्या :- 4889/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202203400204889

अजयपाल सिंह बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय रापथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02750 की गाटा संख्या 3020ड/0.4050हे0 है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माण कार्य करेगा एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतीनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता सं-02750 की गाटा सं-3020ड/0.4050हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.4050हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रयोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण कराएगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में गाटा संख्या 320मि0, पश्चिम में खेत कलेक्टर सिंह आदि, उत्तर में सड़क जल किया मार्ग, दक्षिण में शिशुपाल आदि है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 10125रु0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 10125रु0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02750 की गाटा संख्या 3020ड/0.4050हे0 भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का लंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अनिलेखो में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अनिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

सत्य - सिलिलि

(सत्येश कुमार त्यागी)
 उप जिलाधिकारी (व्यायिका)
 छिबरामऊ

30/8/22

अप वि- सविस्टु/उप विनाधिकार
 छिबरामऊ 2 कमाक

प्राथमिक-02/1-8

5=131 113

शरीर का नाम श्री. अजयपाल सिंह
 अर्थ का पत्र के नाम विनांक 30/8/22
 नाम के नाम के नाम 30/8/22
 नाम के नाम के नाम 30/8/22
 नाम के नाम के नाम 53-13

आवेदक अजय पाल सिंह फ्लिड डि. 26.8.22 नय नजरी नक्शा फतेहगढ़ का. वा. 80
 संख्या-020220339 000 2031 घरा-80 न. मडिया. फतेहगढ़ का. वा. 80
 गति रूपकूप डेटा पुराना- ता. अजय पाल सिंह मालगुजारी
 डि. 26.8.22 अजय पाल सिंह बनाव सरकार
 आवेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ
 वाद संख्या :-2031/2022
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-0202203390002031
 अजयपाल सिंह बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र नय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02963 की गाटा संख्या 3020अ/0.4050हे0 में से 0.0810हे0 हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जांच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 24.08.2022 (नय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426-1431 की फसली के खाता सं०-02963 की गाटा सं०-3020अ/0.4050हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.0810हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रयोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण करवायेगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से बाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहद्दी पूर्व में खेत लज्जाराम, पश्चिम में खेत अजयपाल सिंह, उत्तर में जल किया मार्ग, दक्षिण में गाटा संख्या 3020मि0 है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 2025रु0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 2025रु0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आवेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक को भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02963 की गाटा संख्या 3020अ/0.4050हे0 में से 0.0810हे0 हिस्से की भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बद्ध तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आवेश का अंग होगा। आवेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

S=134

111 दि. 26/8/2022
 श्री अमित कुमार सिंह
 20/8/22
 20/8/22
 20/8/22
 S=134

सत्य - प्रतिलिपि
 26-8-22

अजयपाल सिंह
 उप जिलाधिकारी
 छिबरामऊ

एच जि. मडिया/उप जिलाधिकारी
 छिबरामऊ - कन्नौज

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ
 वाद संख्या :- 4888/2022
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202203400204888
 अजयपाल सिंह बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर) न्यायिक
 मण्डल : कानपुर, जनपद : कन्नौज, तहसील : छिबरामऊ
 वाद संख्या :- 4888/2022

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202203400204888
 अजयपाल सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 03009 की गाटा संख्या 3020च/0.3240हे0 है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माण कार्य करेगा एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जाये।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जाँच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद का नाम खतौनी सन् 1428-1431 की फसली के खाता सं-03009 की गाटा सं-3020च/0.3240हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.3240हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से विद्यालय निर्माण कर प्रयोग में लाया जायेगा। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ़ तहसील फर्रुखाबाद सदर जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा विद्यालय निर्माण कराएगा। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा-77 से बाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत केता अजयपाल, पश्चिम में खेत कल्लू, उत्तर में शेष आराजी गाटा संख्या 3020, दक्षिण में गाटा संख्या 3020 है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 8100रु0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 8100रु0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 03009 की गाटा संख्या 3020च/0.3240हे0 भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बन्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को निवमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

112

प्रार्थी का नाम श्री अजयपाल सिंह
 आवेदक पत्र में का दिनांक 30/8/22
 वाद संख्या का दिनांक 30/8/22
 अन्तर्गत धारा का दिनांक 30/8/22
 अंतर्गत धारा संख्या 80
 5=13-

सत्य - प्रतिलिपि

30-8-22

(रमेश कुमार त्यागी)
 उप जिलाधिकारी (न्यायिक)
 छिबरामऊ

एच. जे. मजिस्ट्रेट/वा. जिलाधिकारी
 फतेहगढ़

न्यायिक-0011-4



5=134

कार्यालय तहसीलदार छिबरामऊ, जिला कन्नौज

पत्रांक 122 / प्रमाणपत्र

दिनांक 21/7/22

स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पाल सिंह यादव पुत्र श्री रविनाथ सिंह यादव निवासी सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ जिला फर्रुखाबाद के नाम ग्राम तालग्राम देहात में गाटा सं० 3020ड रकवा 0.4050 हे० (1.00 एकड़) गाटा सं० 3020च रकवा 0.3240 हे० (0.80 एकड़), गाटा सं० 3020झ रकवा 0.4050 हे० (1.00 एकड़) में से 0.0810 (0.20 एकड़) कुल भूमि 0.8100 हे० यानी 8100 वर्गमीटर (2.00 एकड़) भूमि है जो रामबेटी महिला महाविद्यालय समिति यदुवंशनगर, तालग्राम, कन्नौज के नाम लीजडीड है। जो समिति के पूर्ण स्वामित्व में उक्त गाटा संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर है। जो पहुँच मार्ग पर स्थित है।


तहसीलदार
छिबरामऊ
तहसीलदार
छिबरामऊ (कन्नौज)